	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	कार्तिक 29, गुरूवार, शाके 1947- नवम्बर 20, 2025 Kartika 29, Thursday, Saka 1947- November 20, 2025	

भाग 6 (ग)

ग्राम पंचायत संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

(पंचायती राज विभाग)

अधिसूचना

जयपुर, नवम्बर 19, 2025

संख्या एफ15(1)परा/विधि/जिपगठन/2025/765 :- यह कि राज्य के राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक प-9(18)राज-1/2022-(8) दिनांक 05.08.2023 तथा क्रमांक प-9(18)राज-1/2022-(10) दिनांक 05.08.2023 के द्वारा जयपुर, अलवर जिलो का पुनर्गठन किया जाकर नवीन जिले कोटपूतली-बहरोड का गठन किया गया है, जिसका मुख्यालय कोटपूतली-बहरोड रखा गया है।

राज्य सरकार द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्या 13) की धारा-11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला परिषद, कोटपूतली-बहरोड का गठन किया जाता है।

नवगठित जिला परिषद, कोटपूतली-बहरोड का क्षेत्राधिकार, राजस्व विभाग की उपर्युक्त अधिसूचनाओं में वर्णित क्षेत्र में से नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका (नगरीय क्षेत्र) को छोडकर, समस्त क्षेत्र रहेगा तथा जिला परिषद जयपुर, अलवर के वर्तमान क्षेत्राधिकार से वह क्षेत्र पृथक रहेगा जो क्षेत्र नवगठित जिला परिषद, कोटपूतली-बहरोड के क्षेत्राधिकार में सम्मिलित है ।

जिला परिषद जयपुर, अलवर वर्तमान स्वरूप में उस तारीख से ही विद्यमान नहीं रहेगी और कार्य करना बन्द कर देगी जब नवीन जिला परिषद कोटपूतली-बहरोड एवं पुनर्गठित जिला परिषद जयपुर, अलवर का कार्यकाल प्रारम्भ होगा ।

राज्यपाल की आज्ञा से,

डॉ0 जोगा राम,

शासन सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।